राजीव कृष्णा, IPS
पुलिस महानिदेशक एवं
राज्य पुलिस प्रमुख, उत्तर प्रदेश

डीजी परिपत्र संख्या -07/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0
सिग्नेचर बिल्डिंग
शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ – 226002
फोन नं.0522–2724003 / 2390240, फैक्स नं.0522–2724009
सीयूजी नं. 9454400101
ई–मेल : police.up@nic.in
वेबसाईट : https://uppolice.gov.in

दिनांक :लखनऊ, जनवरी 2 2026

विषय- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 107 के अनुसार अपराध से अर्जित सम्पत्ति की पहचान, कुर्की, जब्ती एवं वापसी प्रक्रिया के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदया/ महोदय,

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 107 के अनुसार आपराधिक गतिविधियों से अर्जित सम्पत्ति की कुर्की, जब्ती और वापसी के सम्बन्ध में प्रक्रिया वर्णित की गयी है। अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध Zero Tolerance की नीति के तहत अपराधियों द्वारा अपराध कारित करने के फलस्वरूप अर्जित की गयी सम्पत्ति के जब्तीकरण की कार्यवाही किया जाना नितान्त आवश्यक है। इस सम्बन्ध में मुख्यालय द्वारा समय-समय पर पार्श्वांकित परिपत्र पूर्व में निर्गत किये गये है। अपराधियों द्वारा अपराध से अर्जित की गयी सम्पत्ति के सम्बन्ध में बीएनएसएस की धारा 107 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार और प्रभावी कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है।

परिपत्र संख्या 44/2024 दिनांक 21-11-2024
परिपत्र संख्या 03/2025 दिनांक 19-02-2025
परिपत्र संख्या 22/2025 दिनांक 14-07-2025

उक्त क्रम में सर्वप्रथम ऐसी अर्जित सम्पत्ति की पहचान की जानी चाहिये जो आपराधिक क्रिया कलापों से अर्जित की गयी हो। ऐसी सम्पत्ति निम्न प्रकार की हो सकती है-

- चल (जैसे वाहन, नकदी)
- अचल (जैसे ज़मीन, भवन)
- मूर्त/अमूर्त (जैसे शेयर, क्रिप्टो, ब्रांड वैल्यू)

**आपराधिक गतिविधियों से अर्जित सम्पत्ति की कुर्की और जब्ती की प्रक्रिया -**

धारा 107 BNSS में वर्णित प्राविधान दो प्राथमिक उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं :-

1. आरोपी को अपराध के लिए जबावदेह ठहराते हुए कानूनी प्रक्रिया अनुसार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना।
2. अपराधी को अपराध से अर्जित लाभों एवं परिणामों से वंचित करना ताकि अन्य व्यक्ति अपराध करने से डरे।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 107 के अनुसार जांच अधिकारी निम्नवत प्रक्रिया का पालन करेगा :-

1. जांच अधिकारी सर्वप्रथम यह सुनिश्चित करेगा कि सम्पत्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से आपराधिक गतिविधि के परिणाम स्वरुप या अपराध की आय के परिणाम स्वरुप प्राप्त हुई है ऐसी सम्पत्ति के दस्तावेज प्राप्त करने हेतु कार्यवाही के दौरान उचित सतर्कता व गोपनीयता बरती जाए ।

2. ऐसी सम्पत्ति की पहचान होने पर जांच अधिकारी द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त से कुर्की की कार्यवाही हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाए।

3. जाँच अधिकारी ऐसी सम्पत्ति की पहचान होने पर व अनुमोदन प्राप्त हो जाने के फलस्वरुप सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष समपत्ति की कुर्की के लिए आवेदन करेगा।

4. ऐसी सम्पत्ति से संबंधित सभी जानकारी, जांच अधिकारी मय आवश्यक दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा तथा आवेदन के तथ्यों को प्रभावी पैरवी हेतु न्यायालय के समक्ष अनुरोध करेगा।

5. ऐसे मामलों में न्यायालय के समक्ष आवेदन के समय जांच अधिकारी द्वारा प्रभावित व्यक्तियों / दावेदारों का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा जिन्हें उक्त सम्पत्ति वितरित की जानी हो।

6. आवेदन के पश्चात न्यायालय अपनी संतुष्टि पर कि ऐसी सम्पत्तियां आपराधिक गतिविधियों के परिणामस्वरूप है, तो उस व्यक्ति को न्यायालय 14 दिवस में जवाब देने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है। जांच अधिकारी को नोटिस प्राप्त कर, आरोपी/दावेदार को नोटिस की तामील के लिए सभी प्रयास करने होगें यदि ऐसी पहचान की गई सम्पत्ति ऐसे व्यक्ति की ओर से किसी अन्य व्यक्ति के पास है तो नोटिस की एक प्रति ऐसे अन्य व्यक्ति को भी दी जाएगी।

7. ऐसे अभियुक्त/आरोपी/दावेदार द्वारा न्यायालय में स्पष्टीकरण पेश करने या ऐसे व्यक्ति को उचित अवसर दिये जाने के पश्चात जांच अधिकारी अपने द्वारा प्रस्तुत आवेदन के पक्ष में सभी संभावित साक्ष्य अपने पक्ष को रखने के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जायेगें ताकि न्यायालय उक्त सम्पत्ति को अपराध की आय मानकर उक्त सम्पत्ति को कुर्क करने के आदेश पारित कर सके।

8. न्यायालय द्वारा कारण बताओ नोटिस में निर्दिष्ट 14 दिवस की अवधि में यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय से एकपक्षीय आदेश जारी करने के लिए निवेदन किया जा सकता है।

9. यदि जांच अधिकारी को ऐसा प्रतीत होता है कि नोटिस जारी करने से आवेदन दाखिल करने का उद्देश्य विफल हो जाएगा, तो जांच अधिकारी बीएनएसएस 2023 की धारा 107(5) के प्राविधान के अनुसार न्यायालय या मजिस्ट्रेट से एकपक्षीय आदेश पारित करने का अनुरोध करेगा और न्यायालय की यह राय है कि नोटिस जारी करने से कुर्की, जब्ती का उद्देश्य विफल हो जाएगा, तो न्यायालय कुर्की/जब्ती का आदेश पारित करते हुए एकपक्षीय अंतरिम आदेश कर सकता है।

10. न्यायालय को यदि यह संतुष्टि हो जाती है कि कुर्क/जब्त की गई सम्पत्ति आपराधिक गतिविधियों के परिणामस्वरूप अर्जित की गई है तो जांच अधिकारी न्यायालय से अनुरोध करेगा कि वह संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को अपराध की ऐसी आय को ऐसे अपराध से पीड़ित व्यक्तियों में आनुपातिक रूप से वितरित करने का निर्देश दे।

11. न्यायालय के आदेश को जांच अधिकारी बिना देरी किए जिला मजिस्ट्रेट से 60 दिवस के भीतर अपराध की आय को पीडित व्यक्तियों में वितरित करने हेतु अनुरोध करेगा।

12. यदि ऐसी आपराधिक आय पर दावा करने के लिए कोई दावेदार/पीड़ित उपस्थित नहीं होता है तो अपराध की ऐसी आय राजकोष में जब्त हो जाऐगी और जांच अधिकारी अविलम्ब अपराध की ऐसी आय को राजकोष में जमा कराने का प्रयास करेगा।

13. सम्पत्ति सम्बन्धी अपराध यथा- चोरी, वाहन चोरी, लूट, डकैती आदि कारित करने वाले अपराधियों की नियमानुसार जांच करते हुए अवैध रूप से अर्जित सम्पत्तियों को कुर्क एवं जब्ती/वापसी की कार्यवाही की जाय।

उपरोक्त प्राविधानों के सम्बन्ध में आप गहनता से अध्ययन कर समस्त राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों एवं विवेचकों को गोष्ठी आयोजित कर विस्तार से समझायें एवं उपरोक्त प्राविधानों का अपने पर्यवेक्षण में कड़ाई से अनुपालन करायें, ताकि न्याय संहिताओं की मंशा के अनुरूप कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

( राजीव कृष्णा )

1. **समस्त पुलिस आयुक्त,**
   उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,**
   प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

**प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

1.समस्त पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2.समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3.समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
4.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।